

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

C.E.P./G.P.L

8/1/24

प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि.

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 जनवरी, 2024

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1555/2021 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में पाण्डेगांव पुल से न्यूसेरा तक नाले को कवर करते हुये मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसमें कार्य की कुल लम्बाई 0.600 किमी0 एवं लागत ₹ 765.39 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 759.30 लाख (₹ सात करोड़ उनसठ लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- विस्तृत आगणन में विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- वित्त अनुभाग-07 के शासनादेश संख्या- 149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitible आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी

SSO(CP)I

8/1/24

Chief Engineer (Planning)
P.W.D., Dehradunजी.पी.एस.
8-2-24

476

A.O.B.

A.O.B.

2024

- अभियन्ता का होगा।
- vi. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
 - vii. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
 - viii. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
 - ix. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
 - x. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 - xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
 - xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-1/185037/2024, दिनांक 25 जनवरी, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 30-01-2024 15:48:59

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायर्वाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।

1024

बजट आवंटन विवरण (2023-2024)

Secretary, PWD (5038)

- 9. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोनि.वि., पिथौरागढ़।
- 10. अधिशासी अभियन्ता, प्रा० खण्ड, लो.नि.वि., पिथौरागढ़।
- 11. गार्ड फाईल।

आ.सं. 185866/2024

आ.सं. 24020220011

06-FEB-2024

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

5054-सड़क तथा सेतुओं का निर्माण
परिव्यय

04-सड़क तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

03-सड़क निर्माण

02-नया निर्माण कार्य (5054-04-001)

Voted

03-02से स्थानान्तरित)

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	शेष
337-सड़क निर्माण	₹ 9700000	10000	₹ 9700000	₹ 9700000
शेष	₹ 9700000	10000	₹ 9700000	₹ 9700000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.16,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं कियोजक, लोक निर्माण विभाग

पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखण्ड

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwd@ua.nic.in

बजट सं. 185866/2024 संशोधन सं. 185866/2024

पूर्व अथवा निष्काशन सं. 185866/2024 संशोधन सं. 185866/2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक साक्ष्य हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, सत्रांग कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़
4. अधिशासी अभियन्ता, आईटीसीएल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचना के माध्यम से प्रेषित कि उपरोक्त अनुमति को प्रति विभागाध्यक्ष वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए को कष्ट करे।
5. अभियन्ता प्रतिलिपि, बजट सं. 185866/2024 संशोधन सं. 185866/2024

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
 HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/185866/2024
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S24020220011
 आवंटन पत्र दिनांक-06-FEB-2024

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-800-
 03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		9700000	10000	0	9710000							
योग		9700000	10000	0	9710000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

द्वारा विपणन हेतु उपलब्ध कराये गये विस्तृत आवणन, विमर्ष कार्य की कुल तम्बाई 0.000
 निम्नो वर्ष लागत ₹ 769.39 लाख है के दौरान सड़क पर परीक्षणपरमाणु क्षति सुपुर्ण गई जहाँ
 धनराशि ₹ 759.30 लाख (ए सात करोड़ उनसठ लाख बीस हजार मात्र) की प्रस्तावित तथा विभिन्न
 स्वीकृति इदान करी हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में खर्च हेतु ₹ 0.10 लाख (एक हजार मात्र) की
 धनराशि आपने निवर्तन में रखे जाने की भी राज्यपाल मिश्रकृत शर्तों के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करते हैं-

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 160 /20 याता0क'नियो0-1/2024

दिनांक-15 .02.2024

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
- अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
 देहरादून